विचार बिन्दु

एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। न वह टूटता है और न उसमें रहने वाला कभी दुःखी होता है। –अज्ञात

कार्य दिवस कम करने का पक्ष और प्रतिपक्ष!

भारत में जिसका भी कभी कोई काम किसी सरकारी कार्यालय से पड़ा है, वह आपको असंतुष्ट ही मिलेगा। सरकारी दफ़्तर में आप कोई भी काम लेकर जाएं, पहला जवाब आपको यही मिलेगा – 'नहीं हो सकता!' फिर जब आप गिड़गिड़ाएंगे, चिरौरी करेंगे, दयनीय मुद्रा बनाकर कहेंगे, 'देखिये, कुछ कीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी', वगैरह, तो बर्फ पिघलने लगेगी। सम्बद्ध कर्मचारी का रुख कुछ नरम होगा.... मैंने कर्मचारी कहा, अधिकारी जान-बूझकर नहीं कहा, क्योंकि उस तक पहुंचना हरेक के भाग्य में होता ही कहां है? और पहुंच भी गए तो वह भी तो आपको किसी कर्मचारी के पास ही भेजेगा। लेकिन मैंने एक छलांग लगा ली। सबसे पहले तो आप जब किसी दफ्तर में जाएंगे तो आपको सम्बद्ध कर्मचारी सीट पर मिलेगा ही नहीं। दफ्तर शुरु होने के घोषित समय के कम से कम आधा घण्टा बाद वह प्रकट होगा और दफ्तर बंद होने के एक घण्टा पहले अपना काम समेट कर घर जाने के लिए तैयारी करता मिलेगा। यही हाल लंच ब्रेक का भी होगा। जहां घोषित रूप से लंच ब्रेक नहीं है वहां अघोषित लंच ब्रेक मिलेगा। जिसे अपना काम करवाना है यह तो हुई उसकी शिकायत। जो काम करने वाला है वह यह शिकायत करता पाया जाएगा कि काम का सारा बोझ उसी पर डाल दिया गया है, और लोग तो मज़े कर रहे हैं। और अगर आप अफसर से बात करें तो उसका रोना यह होगा कि कोई काम करना ही नहीं चाहता है, लेकिन बेचारा वह भी क्या करे? काम करवाना तो इन्हीं से है। धीरे-धीरे दफ्तरों में राजनीतिक हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है कि हर कर्मचारी का खूंटा किसी न किसी नेता के आंगन में गड़ा हुआ है और अफसर चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे ख़ुद अफसर का खूंटा भी किसी न किसी के आंगन में गड़ा मिल जाएगा। इनके अलावा, सप्ताह में पांच कार्य दिवस, और बेशुमार छुट्टियां। आधिकारिक छुट्टियों के अलावा अघोषित किंतु पारंपरिक छुट्टियां अलग से, मसलन किसी की विदाई, किसी की शोक सभा वगैरह। हर कार्यालय में ऐसे लोग अवश्य ही मिल जाएंगे जो इन सबके विशेषज्ञ हैं और उनके लिए और सारे कामों से ज़रूरी ये ही काम होते हैं।

इधर भारत में निजी क्षेत्र खूब पनपा है। वहां की स्थितियां अलग है। वहां काम करने वालों से पूछें तो उनके पास अपने शोषण की अनगिनत गाथाएं मिल जाएंगी। वे बेचारे सही मानों में काम के मारे हैं। उन्हें हर हालत में अपने टारगेट पूरे करने हैं, अपने सीनियर को, नियोक्ता को खुश रखना है और यह सब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। वहां काम न कर सकने का कोई बहाना नहीं चलता है। तो जैसे यह एक भारत में दो भारत हैं। सरकारी क्षेत्र का भारत और निजी क्षेत्र का भारत। सरकारी कर्मचारी और अधिक छुट्टियां, सुविधाएं और कम काम चाहता है, जबकि निजी क्षेत्र में काम करने वाले का मुंह बंद है।

इस पूरे परिदृश्य के बीच यह जानना कम दिलचस्प नहीं होगा कि अमरीका के बोस्टन कॉलेज के शोधकर्ताओं ने अमरीका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैण्ड और न्यूज़ीलैण्ड की 141 कम्पनियों में कार्यरत कर्मचारियों से बात करके और उनके जीवन के विविध पक्षों का अध्ययन करके एक प्रतिवेदन तैयार किया है जो 'नेचर ह्युमनबिहेवियर' नामक एक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि अगर कामकाजी सप्ताह को चार दिन का कर दिया जाए तो काम करने वालों की सेहत और खुशी में वृद्धि होगी। और केवल इतना ही नहीं, बकौल वेनफ़ैन, जो इस प्रतिवेदन की लेखिका हैं, "हमने कर्मचारियों में बेहतरी देखी। कंपनियों का उत्पादन और राजस्व दोनों बढ़े। यह ट्रायल अब ख़त्म हो गया है। लेकिन इसमें शामिल 90 प्रतिशत कम्पनियों ने सप्ताह में चार दिन काम करने को ज़ारी रखने का फ़ैसला किया है।" अन्य कई शोधों में भी यह बात कही गई है कि कम कामकाजी दिन बेहतर स्वास्थ्य, संतुलित जीवन और अधिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसी तरह दुनिया के अन्य बहुत सारे देशों में भी कार्य दिवस और काम के घण्टों को कम करने को लेकर प्रयोग चल रहे हैं। फोरडेवीक ग्लोबल की सीईओ कैरेनलोवे बताती हैं कि उनका संगठन ब्राज़ील से लेकर नामीबिया और जर्मनी तक दुनिया भर की कंपनियों को चार दिन के वर्क मॉडल को आजमाने में सहायता करता है। वे बड़े उत्साह से बताती हैं कि उनके सुझाव पर अमरीका के कोलोरेडो प्रांत के सिटी ऑफ गोल्डन पुलिस विभाग ने, जहां 250 कर्मचारी काम करते हैं, सप्ताह में चार दिन के मॉडल को लागू किया और पाया कि वहां ओवरटाइम का काम लगभग 80 फीसदी कम हो गया और इस्तीफों की संख्या में घट कर आधी रह गई। इस अनुभव के आधार पर कैरेनलोवे कहती हैं कि अगर यह मॉडल पुलिस विभाग में सफल हो सकता है तो फिर कहीं भी सफल हो सकता है।

> **जो काम करने वाला है वह यह शिकायत करता पाया जाएगा कि काम का सारा बोझ उसी पर डाल दिया गया है, और लोग तो मज़े कर रहे हैं। और अगर आप अफसर से बात करें तो उसका रोना यह होगा कि कोई काम करना ही नहीं चाहता है, लेकिन बेचारा वह भी क्या करे? काम करवाना तो इन्हीं से है। धीरे-धीरे दफ्तरों में राजनीतिक हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है कि हर कर्मचारी का खूंटा किसी न किसी नेता के आंगन में गड़ा हुआ है और अफसर चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे ख़ुद अफसर का खूंटा भी किसी न किसी के आंगन में गड़ा मिल जाएगा।**

लेकिन बहुत रोचक बात यह है कि एक तरफ जहां बोस्टन कॉलेज के शोधकर्ता कम कार्यदिवस के फायदे गिना रहे हैं वहीं दुनिया के बहुत सारे देशों में ज़्यादा काम करने का जैसे जुनून है। अब यही देखें कि चीन में 996 वर्क कल्चर चलन में है। इस कार्य संस्कृति के तहत कर्मचारी सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक सप्ताह के छह दिन काम करते हैं। उधर जापान में बग़ैर अतिरिक्त मानदेय के ओवरटाइम इतना आम है कि वहां एक नया शब्द चलन में आ गया है –'करोशी'। 'करोशी' शब्द का अर्थ है काम से मृत्यु। यह शब्द काम के आधिक्य के कारण होने वाले हृदय रोग, स्ट्रोक और ऐसी ही अन्य बीमारियों तथा आत्महत्या के कारण होने वाली मौतों की तरफ इशारा करता है। असल में जापान में करोशी एक गंभीर सामाजिक समस्या बन गई है क्योंकि यहां लोगों को बहुत ज़्यादा काम करते देखा जा सकता है। जापान के वर्क कल्चर विशेषज्ञ हिरोशीओनोका कहना है कि "लोग समय से पहले दफ्तर पहुंच जाते हैं और देर तक रुकते हैं, भले ही कोई काम न हो। लेकिन प्रतिबद्धता दिखाने के लिए लोग दफ्तर में देर तक रुकते हैं।" हिरोशी कहती हैं कि जापान की सामूहिक संस्कृति इस तरह के बर्ताव को बढ़ावा देती है। यहां फ्री राइडर को बुरा माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति शुक्रवार को छुट्टी लेने लगे तो बाकी लोग सोचने लगते हैं कि इन्हें आज काम से छुटकारा क्यों मिल रहा है? आश्चर्य की बात तो यह है कि जापान में लोग कानूनी रूप से मिलने वाली छुट्टियों जैसे पितृत्व अवकाश तक का उपभोग करने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे कोई छुट्टी लेंगे तो उनके सहकर्मियों पर काम का बोझ बढ़ जाएगा।

यहीं यह भी याद कर लेना उपयुक्त होगा कि हमारे अपने भारत में कुछ समय पहले कई महत्वपूर्ण लोग अधिक काम की वकालत कर चुके हैं। इन्फोसिस के सह-संस्थापकनारायण मूर्ति ने 2023 में सुझाव दिया था कि भारतीय युवाओं को देश की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल ने नारायण मूर्ति के इस सुझाव का स्वागत किया था। इसी तरह लार्सन एंड टुब्रो (र्थ्ऊ) के चेयरमैन एसएनसुब्रह्मण्यम ने 2025 में कर्मचारियों को सप्ताह में 90 घंटे काम करने और रविवार को भी काम करने की सलाह दी थी। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने 2025 में कहा कि 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारतीयों को सप्ताह में 80-90 घंटे काम करना चाहिए। उन्होंने कड़ी मेहनत को आर्थिक सफलता से जोड़ा। इसके अतिरिक्त, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में भी काम के घंटों पर से प्रतिबंध हटाने और लचीलापन लाने की बात कही गई, जिसे कुछ लोग अधिक काम के घंटों की वकालत के रूप में देखते हैं। ये सभी बयान और सुझाव भारत में काम के घंटों और वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर चल रही बहस का हिस्सा हैं, जिसने कई सहमतियां-असहमतियां जगाई हैं।

कुल मिलाकर पूरी दुनिया में इस बात पर मंथन चल रहा है कि काम के दिन और घण्टे बढ़ाए जाएं या घटाए जाएं। भारत के संदर्भ में एक आम राय यह नज़र आती है कि सारी बातों के बावज़ूद हमारे यहां एक ईमानदार कार्य संस्कृति का विकास अभी तक नहीं हो सका है। ख़ास तौर पर सरकारी तंत्र में। ऐसे में हमारे यहां तो जनता की आम राय काम के दिन और घण्टे कम करने के पक्ष में नहीं है। हां, कर्मचारी ज़रूर चाहेंगे कि उनके कार्य दिवस और काम के घण्टे कम हों। जहां तक निजी क्षेत्र का सवाल है, यह मुख्यतः नियोजक द्वारा नियंत्रित है और वह तो हमेशा यही चाहेगा कि अपने कर्मचारियों से ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाए। और ऐसा केवल भारत में ही नहीं है। कुछ क्षेत्रों में सुधार के प्रयासों के बावज़ूद आम स्थिति तो यही है कि नियोक्ता कर्मचारी की पूरी ऊर्जा को निचोड़ लेना चाहता है।

यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि कार्य दिवस जस के तस रहते हैं, कम होते हैं या बढ़ाए जाते हैं!

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

चर्चा चुनाव सुधारों की : राजनीतिक अपराधीकरण का पहला कदम

राम निवास बैरवा

चुनाव सुधारों की चर्चा, मुख्य रूप से, क्षेत्रीय पार्टियों के प्रभावी होने के साथ ही शुरू हो गई थी। चुनावी व्यवस्था में बिखरे कांटों को नये कानून बना कर दबाने को ही चुनाव सुधार कहा जाता है। और फिर भी सुधार नहीं हो पा रहा है तो यह चुनावी प्रणाली की असाध्य बीमारी के लक्षण हैं जिनका पता लगाना समय की जरूरत है। वैसे तो राजनीति सत्ता स्वयं में वर्ग संघर्षों की उपज है, लेकिन वर्ग संघर्षों के धीमा हो जाने या शान्ति काल में सत्ताधारी वर्गों के अन्तर्विरोध छिपे रूप में या प्रकटतः षड्यंत्रों में अभिव्यक्त होते हैं। जहां षड्यंत्र किये जाते हैं वहां अपराधिक दुष्टताओं के अलावा कानूनी षड्यंत्रों के भी चक्रव्यूह गढ़े जाते हैं। भारत के चुनाव कानूनों का इस प्रकार की चक्रव्यूह रचनाओं में भरपूर इस्तेमाल किया जाता रहा है।

चुनावी कानूनों के तामझाम की व्याख्या को समझने के लिए, वित्त वर्ष 2012-13 के केंद्रीय बजट भाषण में तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने सर्विस टैक्स की दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा करते हुए कहा था, "मैं दयावान बनने के लिए ही क्रूरता करता हूँ (I have to be Cruel to be kind) तब प्रणव मुखर्जी ने शेक्सपीयर के कथन की दूसरी पंक्ति को नहीं कहा था। पूरा कथन इस प्रकार है- "मैं दयावान बनने के लिए क्रूरता करता हूँ, इस प्रकार खराबियां पीछे रह जाती हैं और बुराई शुरू होती है (I have to be Cruel to be kind, Thus bad begins and worse remains behind)।

भारत में चुनाव कानून बनाने की शुरूआत संविधान लागू होने के तत्काल बाद शुरू कर दी गई थी। इस कड़ी में पहला कानून बनाया गया था "जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, जिसे 12.मई.1950 को बनाया गया था। उस अधिनियम की धारा 16 में मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्यताएं बताते हुए इसी धारा की उपधारा (1) में तीन परिस्थिति गिनाई गई हैं–

जो भारत का नागरिक न हो

जिसकी सक्षम न्यायालय द्वारा दिमागी अस्वस्थता प्रमाणित की गई हो,

जो तत्कालीन भ्रष्टाचारों संबंधी कानून के किसी प्रावधान के अन्तर्गत भ्रष्ट गतिविधियों तथा चुनावों से संबंधित अन्य अपराधों में संलिप्त हो।

12 मई 1950 को बनाये गये उस कानून में छः महिनों में ही 23.12.1950 से संशोधन करके 'गैरकानूनी' शब्द और जोड़ा गया था– इस प्रकार खण्ड (सी) का पाठ इस प्रकार हो बना दिया गया था, "तत्कालीन भ्रष्टाचार संबंधी कानून के किसी प्रावधान के अंतर्गत "भ्रष्ट और गैर-कानूनी गतिविधियों तथा चुनावों से संबंधित अन्य अपराधों में संलिप्त हो।" इस 'गैर कानूनी' शब्द को 26.12.1960 से हटा दिया गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि अब "गैर कानूनी" गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति अयोग्य नहीं रह गया था।

परन्तु, इस बीच, 1 जुलाई, 1951 से दूसरा पूरक "जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 बनाया गया। उसके भाग 2 के अध्याय तीन में पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इस अध्याय का मूल शीर्षक था, "संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं" इसकी धारा 7, 8 तथा 10 को 28.08.1956 से संशोधित किया गया, फिर 14.12.1966 से धारा 7, 8, 8-ए, 9, 9-ए, 10, 10-ए तथा 11-ए, 11-बी को पूरा ही पुनः लिखा गया। इसी प्रकार भाग-7 जिसका शीर्षक था–"भ्रष्ट तथा गैर कानूनी गतिविधियां एवं निर्वाचन अपराध" इस में सेभी दूसरे आम चुनावों के ठीक छः महिने पहले (अधिनियिम सं. 27/1956) 28.08.1956 से 'गैरकूननी' शब्द हटाकर "भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध" कर दिया गया। इस शीर्षक परिवर्तन के साथ ही धारा 123, 124 तथा धारा 125 को भी दिनांक 28.08.1956 के संशोधन से बदल दिया गया।

इस प्रकार से "गैर-कानूनी गतिविधियों" में संलिप्त लोगों को चुनावों में प्रत्याशी बन कर चुनाव लड़ने की छूट दे दी गई थी, और चुनावों के माध्यम से राजनीति का अपराधीकरण की कानूनी छूट दे दी गई। यहां यह बताना प्रासंगिक नहीं है कि 1956 में कौन प्रधान-मंत्री था और उनके क्या राजनीतिक हित थे, बल्कि यह प्रासंगिक है कि जीत सकने वाले उम्मीदवारों की तब तो 1956 में जरूरत थी ही, आज वह आवश्यकता सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए अति-आवश्यक हो गया है, इसीलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी गैर-कानूनी गतिविधियों ममे लिप्त लोगों को चुनावों से दूर करना नहीं चाहती है। चुनावों के राजनीति का अपराधीकरण असाध्य बितारी बन गया है।

1956 के ये संशोधन करके "गैर कानूनी गतिविधियों" शब्दों को हटाने का क्या कारण रहा था?देश की तत्कालीन परिस्थितियों और जन मानस का विश्लेषण करके उनके अन्तर्संबंधों को देखा जाये तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

1947 के बाद होने वाले 1952 के पहले आम चुनाव थे। उन आम चुनावों में भारत की विशाल ग्रामीण-जनता, किसानों, मजदूरों और दलितों को राजनीतिक भागीदारी के रूप में पहली बार आम चुनावों में मतदान का अवसर मिला था। यह उनके लिए एक अधिकार था, अतः राजनीतिक प्रचार के रूप में कांग्रेस पार्टी के पास चुनावों में चुनावों के लिए भावनात्मक रूप से यह बहुत कुछ था। सबसे पहला, कांग्रेस पार्टी की 1947 के पहले की राजनीतिक गतिविधियों से व्यापकता का लाभ और दूसरा- गांधी जी की हत्या से उनके आदर्शों का व्यापक भावनात्मक लगाव जनता के बीच बना हुआ था। तीसरा-गांधीजी के उत्तराधिकारी के रूप में जवाहर लाल नेहरू के प्रति अटूट विश्वास।

अतः उन चुनावों में केंद्र तथा लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनी। तत्कालीन सांसदों, विधायकों से जिन आदर्शों और सुचिताओं की अपेक्षा जनता को थी, वह अगले चुनवों तक डगमगाने लगी थी। साथ ही नेहरू जी को यह विश्वास हो चला था कि चुनावों में जीतने सकने वाले उम्मीदवारों को चुनावों में पार्टीप्रत्याशी बनाना जरूरी था। चूंकि, जीत सकने वाले किसी न किसी गैरकानूनी गतिविधि में संलग्न रहत हैं, अतः गांधीजी के आदर्शों में विश्वास करने वालों को खादी ग्रामाद्योग की जिम्मेदारी देकर, बड़ी जमीनें देकर शान्त कर दिया। लेकिन जीत सकने वाले उम्मीदवारों की रूकावटों को खतम करते हुए 1956 के संशोधन जनप्रतिनिधि कानून में किये गये। चूंकि, अशिक्षित आम जनता के लिए कानूनी संशोधन कोई मायने नहीं रखते। प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बताने के लिए कानूनों में संशोधन किये गये।

ये ही निर्णायक संशोधन थे, जिनसे 'गैरकानूनी' गतिविधियों में शामिल लोगों को चुनाव लड़ने के अयोग्य नहीं माना गया था। 'गैरकानूनी' गतिविधियों में जब संसद और विधानसभाओं में जाने का रास्ता साफ कर दिया गया तो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी वह वरदान साबित हुआ। परिणामस्वरूप सभी दलों ने अपने-अपने हितों के लिए अपने-अपने ढंग से सहमति देकर, एक के बाद एक ऐसे कानून बनाये जाते रहे कि उनमें सुधार की बात करना ही निरर्थक है। आज राजनीति का अपराधीकरण उस सीमा तक पहुंच गया है कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र करने पर उतारू हैं और जिस भी पार्टी के पास सत्ता है वह निश्चित रूप से अपने षड्यंत्रों को कानूनों के आवरण में ढकने में सक्षम है। जैसे- बिहार विधानसभा के चुनावों के पहले बड़ी तादाद में मतदाता सूचियों से नाम काट देना- जातिगत जनगणना का उपक्रम करना आदि। अशिक्षित ग्रामीण भारतीय अब भारतीय हैं या नहीं, यह साबित करने के लिए कागज पैदा करना पड़ेगा नहीं तो वह भारतीय नागरिक नहीं माना जा सकता है।

यह भी एक विडंबना ही है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए सौ खून माफ, परंतु मतदान करने वालों को इस तरह से बांटा जाये, इस तरह से सीमित किया जाये कि अपनी सत्ता को दीर्घायु बनाया जा सके।

–रामनिवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त।

शैक्षणिक स्वतंत्रता – क्या यह आवश्यक है?

अशोक कुमार

उच्च शिक्षा में शिक्षकों, शोधकर्ताओं और छात्रों की शैक्षणिक स्वतंत्रता, सामान्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अलग है क्योंकि यह विशेष रूप से शैक्षणिक कार्य की व्यावसायिक जिम्मेदारियों और संदर्भों से जुड़ी हुई है।

शैक्षणिक स्वतंत्रता उच्च शिक्षा में शिक्षकों, शोधकर्ताओं और छात्रों की स्वतंत्रता है कि वे अपने शैक्षणिक क्षेत्र में विचारों और निष्कर्षों की जांच, शिक्षण और चर्चा कर सकें, बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप, प्रतिबंध या प्रशासकों, राजनीतिक हस्तियों, दाताओं या अन्य बाहरी संस्थाओं से प्रतिशोध के डर के। यह सामान्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अलग है क्योंकि यह विशेष रूप से शैक्षणिक कार्य की व्यावसायिक जिम्मेदारियों और संदर्भों से जुड़ी हुई है।

शैक्षणिक स्वतंत्रता के प्रमुख पहलुओं में आम तौर पर शामिल हैं:–

पढ़ाने की स्वतंत्रता: इसमें संकाय सदस्यों को पाठ्यक्रम सामग्री का चयन करने, शिक्षण विधियों को निर्धारित करने, असाइनमेंट बनाने और छात्र के प्रदर्शन का आकलन करने का अधिकार शामिल है, जब तक कि यह उनकी व्यावसायिक क्षमता और विषय वस्तु के साथ संरेखित हो।

शोध और प्रकाशन की स्वतंत्रता: शिक्षाविदों को छात्रवृत्ति के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने, शोध करने और बिना सेंसरशिप या नियंत्रण के अपने निष्कर्षों को प्रसारित और प्रकाशित करने में सक्षम होना चाहिए, भले ही विषय या निष्कर्ष विवादास्पद हों।

आंतरिक भाषण की स्वतंत्रता: यह संकाय के अधिकार की रक्षा करता है कि वे अनुशासन के डर के बिना संस्थागत नीतियों या कार्यों के बारे में अपनी राय व्यक्त करें।

बाहरी भाषण की स्वतंत्रता: हालांकि असीमित नहीं है, लेकिन शैक्षणिक स्वतंत्रता अक्सर नागरिकों के रूप में बोलते या लिखते समय शिक्षाविदों की सुरक्षा तक फैली हुई है, हालांकि यह आमतौर पर उनकी शैक्षिणक विशेषज्ञता और स्थिति से घिरा हुआ है।

सीखने की स्वतंत्रता: छात्रों के लिए, शैक्षणिक स्वतंत्रता का अर्थ है प्रशिक्षकों से अनुचित व्यवहार या प्रतिशोध के डर के बिना विचारों को तलाशने, चुनौती देने और अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार, और खुली बहस में शामिल होना।

क्या यह किसी संस्थान की प्रगति के लिए शैक्षणिक स्वतंत्रता आवश्यक है?

शैक्षणिक स्वतंत्रता को व्यापक रूप से किसी संस्थान की प्रगति के लिए और विस्तार से, पूरे समाज के लिए आवश्यक माना जाता है। सत्य की खोज और ज्ञान की उन्नति को बढ़ावा देता है: इसके मूल में, एक विश्वविद्यालय का मिशन ज्ञान की खोज और प्रसार करना है। शैक्षणिक स्वतंत्रता के बिना, विद्वान विवादास्पद या चुनौतीपूर्ण विषयों का पता लगाने में हिचकिचाएंगे, जिससे विचारों में ठहराव आएगा और स्थापित मानदंडों पर सवाल उठाने में अनिच्छा होगी। यह बौद्धिक जांच के उद्देश्य में बाधा डालता है।

आलोचनात्मक सोच और नवाचार को बढ़ावा देता है: शैक्षणिक स्वतंत्रता दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और सिद्धांतों की विविधता का पता लगाने की अनुमति देती है। यह खुला वातावरण आलोचनात्मक सोच, बौद्धिक बहस और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर मानविकी और सामाजिक न्याय तक विभिन्न क्षेत्रों में नए समाधानों और सफलताओं के विकास को प्रोत्साहित करता है।

शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करता है और उन्हें बनाए रखता है: अग्रणी विद्वान और शोधकर्ता ऐसे संस्थानों की ओर आकर्षित होते हैं जहाँ वे बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के अपने बौद्धिक हितों को आगे बढ़ा सकते हैं। शैक्षणिक स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता उच्च गुणवत्ता वाले संकाय और छात्रों के लिए एक चुंबक है, जो संस्थान की प्रतिष्ठा और क्षमताओं को बढ़ाता है।

शिक्षा और शोध की गुणवत्ता को बढ़ाता है: जब संकाय छात्रों की जरूरतों और रुचियों को पूरा करने के लिए अपने शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम सामग्री को अनुकूलित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और जब शोधकर्ता कठोर और निष्पक्ष जांच कर सकते हैं, तो शिक्षा और शोध की समग्र गुणवत्ता में काफी सुधार होता है। यह सुनिश्चित करता है कि संस्थान अच्छी तरह से विकसित स्नातक और प्रभावशाली शोध का उत्पादन करता है।

संस्थानों को आम अच्छे की सेवा करने की अनुमति देता है: विश्वविद्यालय सार्वजनिक प्रवचन को सूचित करने, सत्ता को जवाबदेह ठहराने और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शैक्षणिक स्वतंत्रता उन्हें शिक्षाविदों को सत्ता के सामने सच बोलने, स्वतंत्र विश्लेषण करने और पेशेवर नतीजों के डर के बिना सामाजिक और राजनीतिक आलोचना में संलग्न होने की अनुमति देकर इस भूमिका को पूरा करने में सक्षम बनाती है।

संस्थागत स्वायत्तता की रक्षा करता है: शैक्षणिक स्वतंत्रता संस्थागत स्वायत्तता से निकटता से जुड़ी हुई है यह एक बुनियादी सिद्धांत है जो किसी भी शैक्षणिक संस्थान की बौद्धिक जीवंतता, नवाचार और सामाजिक योगदान को रेखांकित करता है। इसके बिना, संस्थानों के प्रतिध्वनि कक्ष बनने, रचनात्मकता को दबाने और अंततः ज्ञान को आगे बढ़ाने और सार्वजनिक भलाई की सेवा करने के अपने मिशन में विफल होने का जोखिम है।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष राजस्थान
विश्वविद्यालय जयपुर

श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में नंद महोत्सव के दौरान हजारों भक्त उमड़े

राजसमंद, (निसं)। कांकरोली स्थित श्री पुष्टिमार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास के श्री द्वारकाधीश मंदिर में रविवार को नंद महोत्सव पर अद्भुत उल्लास और भक्ति का संगम देखने को मिला।

भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाने के लिए सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रृद्धालु एवं गोपी-ग्वाल बाल मंदिर प्रांगण में जुटने शुरू हो गए थे। देखते ही देखते मंदिर का पूरा आंगन ग्वाल बालों से खचाखच भर गया। नंद महोत्सव की भव्य शुरुआत गोस्वामी परिवार द्वारा की गई। कीर्तनकारों के साथ गोस्वामी तृतीय गृह पीठाधीश्वर गोस्वामी पराग कुमार महाराज, गोस्वामी डॉ. वागीश कुमार महाराज, नैमिष कुमार, कपील कुमार, संजीव कुमार श्री बालकृष्ण लाल महाराज की गादी पर पहुंचे, जहां उनके सहायक मुखिया भगवान शर्मा नंदबाबा के रूप में बैठे थे। उनके साथ श्री द्वारकेश गौशाला के ग्वाल अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद थे। झांझ और पखावज की झनकार के साथ उन्हें मंदिर के रतन चौक में लाया गया और वहीं से नंद महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ।

मंदिर की तिवारी में सोने का पलना पधराया गया, जिसमें द्वारकाधीश प्रभु को विराजित किया गया। गोस्वामी कपिल कुमार के लालन अद्वय कुमार यशोदा मैया बने। नंद महोत्सव के दौरान नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के उद्घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। श्री प्रभु के जन्म की खुशी में सभी ग्वाल बाल हल्दी मिश्रित दूध और दही उछालकर इस महोत्सव को परवान चढ़ा रहे थे। वे एक-दूसरे को गले लगाकर खुशियां बांट रहे थे, जिसने उत्सव के आनंद को कई गुना बढ़ा दिया। इस अवसर पर गोस्वामी परिवार के सदस्यों ने भी रतन चौक में ग्वाल बालों के साथ ढोल नगाडों की थाप पर नाच-नाचकर श्री कृष्ण जन्म की खुशियां मनाईं। संपूर्ण रतन चौक श्री प्रभु की जय घोष के साथ गुंजायमान हो रहा था। दर्शनार्थी बारी-बारी से नंद महोत्सव के दर्शनों का आनंद लेते रहे, जो दोपहर 1:30 बजे तक चला। नंद महोत्सव के दर्शनों के बाद भी भक्तों का सैलाब कम नहीं हुआ और नित्य क्रम मंगला आरती के दर्शन भी निरंतर जारी रहे, जिससे सभी दर्शन सुचारु रूप से संपन्न हुए।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 18 अगस्त, 2025

भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठि दशमी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2082, मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 2:06 तक, हर्षण योग रात्रि 2:40 तक, वणिज करण प्रातः 6:24 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 2:40 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-वृष, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 2:06 तक है। आज भद्रा प्रातः 6:24 से सायं 5:27 तक रहेगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:40 तक, शुभ 9:17 से 10:54 तक, चर 2:07 से 3:44 तक, लाभ-अमृत 3:44 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:03, सूर्यास्त 6:58

मेष

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

वृष

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। आय में वृद्धि होगी।

मिथुन

आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च होगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा।

कर्क

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

कन्या

नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

तुला

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

वृश्चिक

परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

धनु

विवादित मामलों से राहत मिले सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा।

मकर

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा।

मीन

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा।